भारत में किसान निर्माता संगठन टिकाऊ बनाना

2023-24 तक भारत की 10,000 एफ पी ओ स्थापित करने की कोशिश

'10,000 किसान निर्माता संगठनों (एफ पी ओज़) का गठन और प्रचार योजना'

भारत सरकार के कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने मुख्य रूप में देश के छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों की सहायता के लिए '10,000 किसान निर्माता संगठनों (एफ पी ओज़) का गठन और प्रचार योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत, मंत्रालय का लक्ष्य 2023-24 तक देश भर में 10,000 एफ पी ओ स्थापित करना है।

इस योजना के लिए बजट सहायता 4,496 करोड़ रुपये है। प्रबंधन की लागत को छोड़ कर, वित्तीय सहायता पांच वर्षों के लिए बढ़ाई जानी है, इस कारण एफ पी ओज़ को 2027-28 तक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। 2024-25 से 2027-28 तक की अवधि के लिए प्रतिबद्ध राशि 2,369 करोड़ रुपये होगी। इस लिए 2027-28 तक 6,866 करोड़ रुपये की कुल बजट राशि की आवश्यकता होगी। बजट की पूर्ति कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता व किसान कल्याण विभाग की निर्धारित राशि से पूरी की जानी है।

योजना के लक्ष्य व उद्देश्य

- 10,000 नए एफ पी ओज़ बनाने के लिए एक व्यापक सहायक वातावरण प्रणाली प्रदान करना जिससे जीवंत और टिकाऊ आय-आधारित खेती का विकास और कृषक भाईचारे का कल्याण और संपूर्ण आर्थिक विकास हो सके।
- संसाधनों की कम लागत और सदुपयोग से उपज में वृद्धि करना और सामूहिक कार्यवाही से किसानों की उत्पादकता के लिए अधिक मुद्रा तरलता और बाज़ार में कड़ियां बनाना।
- स्थापना के समय से पाँच वर्षों तक नए एफ पी ओज़ के प्रबंधन, लागतों, उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, बिक्री व ऋण के लिए कड़ियां और प्रौद्योगिकी के उपयोग इत्यादि से सहायता करना।
- एफ पी ओज़ में कृषि- उद्यमशीलता का कौशल विकसित करने के लिए क्षमता निर्माण प्रदान करना ताकि वह सरकारी सहायता की अवधि के बाद भी आर्थिक और व्यवहारिक तौर पर आत्मनिर्भर बन सकें।

लागू करने वाली एजेंसियां

एक समान और प्रभावी तरीके से एफ पी ओज़ बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए तीन कार्यान्वयन एजेंसियां — लघु किसान कृषि-व्यापार संघ (एस एफ ए सी) नई दिल्ली, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी), नई दिल्ली और राष्ट्रीय बैंक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए (नाबार्ड), मुंबई — ज़िम्मेदार होंगी ताकि यह आर्थिक रूप से टिकाऊ बना सकें।

- एस एफ ए सी कंपनी अधिनियम के भाग IX ए के तहत शामिल किए जाने वाले एफ पी ओ का गठन और प्रचार करेगा।
- एन सी डी सी राज्यों के किसी भी सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाले एफ पी ओ का गठन और प्रचार करेगा।
- नाबार्ड उन एफ पी ओ का गठन और प्रचार करेगा जो या तो कंपनी अधिनियम के भाग IX ए के तहत पंजीकृत हैं या राज्यों के किसी सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।

इन तीन एंजेसियों के अलावा यदि कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपनी लागू करने वाली एजेंसी रखना चाहता है, तो वह उस एजेंसी की गतिविधियों और अनुभवों के विवरण के साथ मंत्रालय से संपर्क कर सकता है। मंत्रालय इस क्षेत्र में एफ पी ओज़ के गठन और प्रचार के लिए आवश्यक अनुभवों और मौजूदा जन शक्ति के प्रस्ताव पर विचार करेगा।

अब तक, एस एफ ए सी ने पूरे भारत में 897 FPO को बढ़ावा दिया है, जिनमें से अधिकतम 146 मध्य प्रदेश में हैं, इसके बाद कर्नाटक (125), महाराष्ट्र (105) और पश्चिम बंगाल (89) हैं। एजेंसी दो साल और तीन साल के कार्यक्रमों के तहत एफ पी ओज़ को बढ़ावा दे रही है।

भारत में एफ पी ओज़ की स्थापना के लिए प्रदान की जा रही सहायता के विवरण के लिए, कृपया एस एफ ए सी की वेबसाइट http://sfacindia.com देखें।